

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-576) अलेसे- I/24

दिनांक:- 7/4/22

श्री सुभाष चन्द अग्रवाल,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।
अतिरिक्त मुख्य अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
जयपुर।

कारण बताओ नोटिस

विषय:- नव पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग का आदेश संख्या 96/2017-18 दिनांक 04.07.2017 एवं परिपत्र क्रमांक 534 दिनांक 21.10.2019, 964 दिनांक 20.09.2021 तथा 1280 दिनांक 04.02.2022

उपरोक्त संदर्भित आदेश के द्वारा आपका स्थानान्तरण कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर से कार्यालय सहायक निदेशक (महिला सदन), बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर में किया जाकर निर्देशित किया गया था कि आप तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना अवलिम्ब फ़ैक्स एवं विभागीय ई-मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in पर इस निदेशालय को भिजवावे। परन्तु स्थानान्तरण होने के लगभग 5 वर्ष पश्चात् भी आप द्वारा नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया गया है तथा समय-समय पर निदेशालय द्वारा जारी परिपत्रों को भी नजरअंदाज कर पूर्व पदस्थापित कार्यालय में ही कार्य करते रहे हैं, जो कि गम्भीर लापरवाही एवं राजकीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

अतः उक्त के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस में प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपको राजकीय आदेशों की अवहेलना करने के लिए आपके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।



(धीरज सिसोदिया)

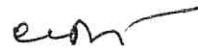
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-576) अलेसे- I/24

दिनांक:- 7/4/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
2. सहायक निदेशक (महिला सदन), बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)